'सन्मार्ग' कोलकाता, गुरुवार, २८ अप्रैल, २००५

आफताब के मृत्यु दंड पर वकीलों ने ही खड़े किये सवाल

अमेरिकन सेंटर पर हमले का मामला

कोलकाता, २७ अप्रैल (न.प्र.)। महानगर के दक्षिण-मध्य भाग में स्थित अमरीकी सरकार के सूचना केन्द्र, अमरीकन इन्फारमेशन सेण्टर पर हमले के प्रमुख आरोपी आफताब अंसारी सहित सात दोषियों को मृत्युदंड की सजा दिये जाने के बाद शहर के कानूनी और मानवाधिकार सम्बन्धी हलकों में मृत्यु दंड के प्रावधानों को फिर से कठघरे में खड़ा किये जाने की कवायद शुरू हो गयी है।

महानगर के लोग अभी धनंजय की फांसी की सजा को भूले नही हैं और अब सात सात लोगों को फांसी की सजा से कानूनी हलकों में ही बेचैनी बढ़ती दिखायी पड़ रही है।

वरिष्ठ वकील तथा त्रिपुरा के पूर्व एडवोकेट जनरल **विकासरंजन भट्टाचार्य** ने कहा कानून की किताबों में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि मृत्यु दंड की सजा ...

मृत्यु दंड के प्रावधानों को हमेशा के लिये हटा देने की मांग को और तेज किया जाय। इदुलजी ने कहा कि वे किसी भी मामले में मौत की सजा दिये जाने के खिलाफ हैं और सारे प्रकरण में कुछ इसी तरह की राय रखते हुए हाईकोर्ट के कनिष्ठ वकील **जयन्तनारायण चटर्जी** ने पूछा राज्य किसी को मृत्यु दंड कैसे दे सकता है। चटर्जी ने कहा कि इनके ऊपर जो देशद्रोह का मामला चलाया गया है वह कितना न्यायसंगत है, जबकि इन लोगों से बड़े बड़े देश और समाजद्रोही खुले घूम रहे हैं। हाई कोर्ट की ही वकील **आशा गौरीसरिया गुटगुटिया** ने बहरहाल आफताब तथा अन्य ६ अभियुक्तों को दी गयी मौत की सजा का समर्थन करते हुए कहा कि भले ही इसे जघन्यतम श्रेणी के अपराधों की श्रेणी में ... कुछ लोगों टाग न रखा जाए परन्तु यह सोंचना होगा कि

फांसी की सजा का असर नहीं दिखा आफताब पर

कोलकाता, २७ अप्रैल (न.प्र.)। अमरीकन सेंटर पर हुए हमले के आरोपी आफताब अंसारी के चेहरे पर मौत की सजा सुनाये जाने के बाद कोई असर नहीं दिखा। आफताब से सजा सुनाने वाले न्यायाधीश बासुदेव मजुमदार ने पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहता है, इसके जवाब में उसने कहा कि 'जो अच्छा सजा हो वो दीजिये'। अभियुक्तों की पैरवी कर रहे वकील शैयद इमाम और अबू बकर ढाली ने बताया कि मौत की सजा सुनाये जाने के बाद सातों अभियुक्तों के चेहरे पर शांति छाई रही और वे सभी चुपचाप खड़े रहे और उन सभी ने अदालत से यही कहा कि हम निर्दोष हैं। मामले में सजा पाये एक अभियुक्त की पत्नी शाहना बेगम और एक अन्य अभियुक्त शकीर अख्तर के भाई जमील अख्तर ने कहा कि ये लोग निर्दोष हैं और वे फैसले के खिलाफ कोलकाता उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। यहां आफताब के परिवार की ओर से फैसले के दौरान कोई नहीं मौजूद था। आज